न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 40 / 2025	2025 / 102	05.05.2025	29.07.2025

1. हजारीलाल पुत्र स्व. प्रहलाद राय गुप्ता जाति महाजन, निवासी ग्राम मालाखेडा, तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।

——प्रार्थी

बनाम

1. हरलाल जाट पुत्र रामसिंह जाट, निवासी ग्राम कलसाडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।
2. तहसीलदार मालाखेड़ा, तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

——अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितिः—
01—श्री रज्जन कुमार सिद्ध —वकील प्रार्थी
02—श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल —वकील अप्रार्थी सं. 1

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा के प्रकरण बउनवान हजारीलाल बनाम हरलाल वगैरह को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मुंतकिल प्रार्थना—पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया आराजी खसरा नम्बर 1224 रकबा 27 ऐयर, 1191 रकबा 26 ऐयर, 1192 रकबा 0.01 ऐयर, 1197/1 रकबा 35 ऐयर एवं 1196 रकबा 44 ऐयर वाके ग्राम कलसाडा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर राज० में स्थित है। जो मौजूदा विवाद में विवादित है। जिसकी बाबत माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.04.2025 को मौजूदा प्रकरण में स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनकर अधींनस्थ न्यायालय ने विवादित जायदाद की मौका व रिकार्ड की स्थिति को यथावत कर दिया है। जो मौजूदा केस माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमे आगामी तारीख पेशी 02.06.2025 की नियत है। यह कि अप्रार्थी रसूखदार व्यक्ति है जो सरपंच, नेता, प्रधान वगैरा के पास उठता बैठता है, जिसने ऐलानिया तौर पर प्रार्थीगण को यह धमकी दी है कि मैं येन केन प्रकरेण अधीनस्थ न्यायालय एसडीओ साहब के यहां से दिनांक 28.04.2025 को जो स्टे दिया गया है उसे पैसे के दम पर या सिफारिश पर वैकेट करा लूंगा। चूंकि मौजूदा वाद अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित है और अप्रार्थी अपने खसरा नम्बर 1196 में प्लाटिंग करना चाहता है और वादी की खातेदारी की आराजी ख. नं. 1224 रकबा 27 ऐयर में से जबरन बिना किसी सरकारी एजेंसी की अनुमति के बिना बीच खेत में से रास्ता निकालना चाहता है जिसे कोई अधि कार व हक नहीं है, अगर अप्रार्थी द्वारा ऐसा कर दिया गया तो प्रार्थी को नापूर्ती होने वाली क्षति कारित होगी, अपार हानि होगी और अगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश 28.04.2025 को बिना किसी कारण के वैकेट कर दिया या स्टे हटा दिया तो भी प्रार्थी को नापूर्ती होने वाली क्षति कारित होगी। इसलियें मौजूदा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय एसडीओ साहब मालाखेडा के यहां से मुंतकिल कर जिले के किसी भी एसडीओ अदालत में प्रकरण को ट्रांसफर किया जाना न्याय संगत व न्यायोचित है जिसके लिये मौजूदा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रार्थी

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

सीमा न्यायालय का निवासी है जिससे प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य है।अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मौजूदा प्रकरण हजारीलाल बनाम हरलाल वगैरा जिसमे आगामी तारीख पेशी 02.06.2025 की नियत है जो दावा स्थायी निषेधाज्ञा धारा 188 न्यायालय एसडीओ साहब मालाखेडा के यहां से ट्रांसफर कर जिले के किसी भी एसडीओ साहब की अदालत में मुंतकिल किये जाने की कृपा करे।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं. 1 ने लिखित जवाब/बहस पेश करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा के यहां दावा गलत वाकेआत के साथ पेश किया है तथा दावा के साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज.टी. एक्ट प्रस्तुत कर एकपक्षीय रूप से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया है। मिन अप्रार्थी किसी तरह से रसूखदार व्यक्ति नहीं है न ही मिन अप्रार्थी राजनेताओं या कोई प्रभावशाली लोगों के साथ उठ बैठ रही है। मिन अप्रार्थी बहुत ही सामान्य व्यक्ति है। मिन अप्रार्थी ने कभी प्रार्थीगण को यह धमकी नहीं दी कि वह येनकेन प्रकारेण दिनांक 28–04–25 के स्थगन आदेश को पैसे के दम पर या सिफारिश पर वैकेट करा लूँगा। मिन अप्रार्थी वैकेट का अर्थ ही नहीं जानता है न ही इतना पढा–लिखा है। मिन अप्रार्थी कोई प्लोटिंग नहीं करना चाहता है। तमाम तथ्य गलत प्रकार से जारी किए हैं। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी को तहत न्यायालय से गलत तथ्य जाहिर करते हुए एकपक्षीय रूप से प्राप्त किया गया अंतरिम स्थगन आदेश बाद सुनवाई खारिज होने का अन्देशा है तथा प्रार्थी उक्त अंतरिम आदेश को लम्बे समय तक यथावत रखना चाहता है, जिस कारण ही प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र गलत व निराधार पेश किया गया है जो खारिज किए जाने योग्य है।

प्रार्थी ने तहत न्यायालय दावा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आराजी खसरा नंबर 1224, 1191, 1192, 1197/1 व उसके साथ खसरा नंबर 1196 रकबा 44 ऐयर वाके ग्राम कलसाडा तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर के बाबत मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त दावा व प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने चालाकी पूर्वक मिन अप्रार्थी प्रतिवादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1196 रकबा 44 ऐयर को भी शामिल कर दिया है जबकि इस आराजी से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध सरोकार किसी तरह का नहीं है न ही उसका कब्जा काश्त है न ही प्रार्थी खसरा नंबर 1196 का सहकाश्तकार खातेदार हैं। बल्कि खसरा नंबर 1196 का मिन अप्रार्थी तन्हा रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। इसके बावजूद मिन अप्रार्थी की उक्त आराजी को शामिल कर दावा धारा 188 राज.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर एकपक्षीय अंतरिम स्थगन मिन अप्रार्थी के बाला बाला प्रार्थी ने प्राप्त किया हुआ है, जिसकी जानकारी होने पर मिन अप्रार्थी की ओर से तहत न्यायालय में वकालतनामा पेश कर 02–06–25 जवाबदावा व जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। लेकिन प्रार्थी टी आई पर बहस नहीं करना चाहता है और तहत न्यायालय से मौका कब्जा व रिकॉर्ड के खिलाफ एकपक्षीय रूप से प्राप्त किये गये अंतरिम स्थगन आदेश को यथावत बनाये रखने के लिए प्रकरण को लम्बा करने की मंशा से यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा पेश किया है जो खारिज किए जाने योग्य है।

आराजी खसरा नंबर 1196 रकबा 44 ऐयर का मिन अप्रार्थी रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है और अपने जायज हकूक की बिना पर मौके पर काबिज है, जिस बाबत कानूनन धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तहत प्रार्थी का दावा चलने योग्य नहीं है। जिस बाबत मिन अप्रार्थी ने अपनी जवाबदेही में स्पष्ट रूप से खुलासा जवाब दिया है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र बदनियति से झूठे व बनावटी तथ्यों के साथ पेश किया है। तहत न्यायालय में लंबित मुकदमा किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने का कोई आधार प्रार्थना पत्र में अंकित ही नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किए जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

प्रार्थी एवं मिन अप्रार्थी की आराजी अलग अलग है तथा प्रार्थी ने अपनी आराजी पर बाउण्ड्रीवॉल की हुई है जिस बाबत स्वयं प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में भी अंकित किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की खातेदारी की आराजी में मिन अप्रार्थी द्वारा किसी तरह का व्यवधान पैदा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं .की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में वाद बउनवान हजारी लाल बनाम हरलाल वगै० प्रकरण संख्या 1/72/2025 दिनांक 28.04.2025 को प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसमे न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। प्रकरण में प्रथम तारीख पेशी दिनांक 02.06.2025 तलबी में नियत है। यह कथन सही है। शेष वादी स्वंय सिद्ध करें। यदि प्रार्थी को इस न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है तो श्रीमान उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल के आदेश फरमावे तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मौजूदा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बेबुनियाद, झूठे एवं मनगढंत तथ्यो के आधार पर महज प्रकरण को अनावश्यक देरी करने की नियत से पेश किया है। फिर भी श्रीमान उक्त प्रकरण को इस न्यायालय से दीगर न्यायालय में मुन्तकिल के आदेश फरमावे तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान